

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No.259] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1980/JYAISTHA 31, 1902

सं 259] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1980/ज्येष्ठ 31, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paglug is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 1980

का. आ. 451(अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 22 जून, 1980 को उक्त तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

उदयपुर जिले की
गिरवा तहसील में
देवारी के राजस्व ग्राम
के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

[संख्या एस.-38013/6/80-एच. आई.]

एस. एस. सहस्रनामन, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION..

New Delhi, the 21st June, 1980

S.O. 451(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 22nd June, 1980 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan namely :—

The areas within the revenue village of Debari in Tehsil Girwa, District Udaipur.

[No. S-38013/6/80-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.